



मोहनलाल सुखाड्या विश्वविद्यालय उदयपुर (राज.)

विवरणिका

University Information Bulletin

2009-2010



Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.)

अति - आवश्यक सूचना

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या डी 37/04/ XI-A दिनांक 26 फरवरी, 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी की रैगिंग लेना कठोर दण्डनीय अपराध है। रैगिंग के अन्तर्गत प्रमुख रूप से मानसिक-शारीरिक वेदना पहुंचाना, मानवीय स्वतंत्रता एवं गरिमा को क्षति पहुंचाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पीड़ित करना, असुरक्षित एवं भयाक्रांत करना तथा अवांछनीय चेष्टा करने के लिये बाध्य करना माना गया है। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त विद्यार्थी को न केवल छः माह का कठोर कारावास या रू. 1,00,000 का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकेंगे अपितु विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र एवं उपाधि में भी उसे दी गई सजा का उल्लेख होगा।

अतः विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रैगिंग जैसे अवांछनीय कार्य में लिप्त न होकर स्वयं के भविष्य का निर्माण करें।

परिसर में अध्ययनरत छात्राओं का शारीरिक, मानसिक एवम् समस्त शोषण व उत्पीड़न कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है।

प्रकाशक :

कुलसचिव

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय

उदयपुर - 313 039

विश्वविद्यालय के प्रवेश, परीक्षा सम्बन्धित

जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की

Website : www.mlsu.ac.in

भी देख सकते हैं।

मुद्रक :

अनुग्रह प्रिन्टर्स

एम. बी. कॉलेज के सामने, उदयपुर

फोन : 0294-2411579, मो. : 9414157579

मूल्य - 100.00 रुपये

(आवेदन-पत्र सहित)